कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या-एम0ई0-3/2016/ लखनऊःदिनांकः 17 सितम्बर 2016

रिट याचिका संख्या-20575 (एम0बी0) आफ 2016 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल कालेजेज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.9.2016 में निहित निर्देशानुसार दिनांक 03 सितम्बर 2016 से 08 सितम्बर 2016 तक आयोजित नीट यू0पी0 2016 की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग तथा दिनांक 14 सितम्बर 2016 को सम्पन्न विस्तारित प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में किये गये समस्त आवंटन एवं प्रवेश को निरस्त करते हुए नीट यू0पी0 2016 की प्रथम चक्र की रिपीट काउंसिलिंग हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत हैंः-

- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-20575/2016 (एम0बी0) में पारित आदेशों के अनुपालन में यू0पी0 नीट, 2016 की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग को पुनः आयोजित कराया जाना है। उक्त आदेश की प्रति महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की वेबसाईट www.updgme.in पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

  In compliance with orders passed by the Hon'ble High Court in WP No 20575/2016, the 1st round of counseling held under UP NEET 2016 is required to be held again. Copy of the said order is available on DGME website www.updgme.in for ready reference.

- तद्नुसार एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित समय-सारणी के दृष्टिगत् प्रथम चक्र की ''रिपीट-काउंसिलिंग'' एवं तत्पश्चात् द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की संशोधित समय-सारणी यथाशीघ्र निर्धारित कर वेबसाईट **www.updgme.in** तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

  Accordingly a revised schedule for counseling is going to be announced soon through daily news papers & official website www.updgme.in for a repeat 1st round counseling, as well as the subsequent rounds of counseling as prescribed by MCI regulations.

- एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु समस्त प्रवेश-प्रक्रिया दिनॉक-30.9.2016 के पूर्व सम्पन्न कर लिया जाना है। अतः ''रिपीट-काउंसिलिंग'' दिनॉक-19.9.2016 के पश्चात् किसी भी समय प्रारम्भ हो सकती है। अतः समस्त छात्रों से अनुरोध है कि तद्नुसार तैयार रहें एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की वेबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहें।

  As per the time frame prescribed by MCI, all admissions have to be completed before 30th September 2016. Therefore the detailed time-schedule for repeat 1st round counseling/2nd round counseling is expected to be announced any time.

The repeat 1st round counseling will commence any time after 19th September 2016. All students are therefore advised to keep checking the DGME website regularly for further updates.

- पूर्व में आयोजित प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से किये गये समस्त आवंटन/प्रवेशों को निरस्त मानते हुए ''रिपीट प्रथम चक्र की काउंसिलिंग'' आयोजित कराई जायेगी। अतः समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को ''रिपीट-काउंसिलिंग'' में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
All admissions to medical/dental colleges as a result of allotments done in the previous first round will be considered cancelled and the candidates will have to appear again in person for the repeat counseling.

- समस्त अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि काउंसिलिंग हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थिति की दशा में प्रवेश/आवंटन के विषय में किसी भी प्रकार के आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
Candidates may please note that appearance in person is compulsory and in case of absence at the time of counseling, admissions already done will not be assured.

- ''रिपीट-काउंसिलिंग'' हेतु अभ्यर्थी सुविधानुसार किसी भी काउंसिलिंग केन्द्र में उपस्थित हो सकता है। इसके लिए पूर्व में उपस्थित हुए काउंसिलिंग केन्द्र में ही पुनः उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।
For the repeat 1st round, candidates may appear at any counseling centre of their choice or convenience and need not necessarily appear at the original counseling centre.

  नीट यू0पी0 2016 की प्रथम काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर चुके छात्र अपने पूर्व के काउंसिलिंग केन्द्रों पर ही उपस्थित होंगे, तथा जो छात्र नीट यू0पी0 2016 की प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से मेडिकल कालेजों में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं, वह अपने निकटवर्ती किसी भी काउंसिलिग केन्द्र पर उपस्थित होकर काउंसिलिंग करा सकते हैं, ऐसे छात्रों को उपस्थिति-पंजीकरण फार्म विभागीय वेबसाईट www.updgme.in से डाउनलोड कर उसे पूर्णतया भरते हुये समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित अपने नये काउंसिलिंग केन्द्र पर निर्धारित तिथि को जमा करना होगा, जिससे उनका पुनः नये काउंसिलिंग केन्द्र पर काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण सम्भव हो सकेगा।

- समस्त प्रधानाचार्य/डीन को निर्देशित किया जाता है कि यथाशीर्घ प्रवेशित छात्रों (जिनके द्वारा मूल अभिलेख सम्बन्धित कालेज में समर्पित किये जा चुकें है) को काउंसिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

निर्गत करें, जिससे कि छात्रों को ''रिपीट-काउंसिलिंग'' में उपस्थित होने में किसी प्रकार की असुविधा न हों।

Principals/deans of all colleges are instructed to issue NOCs promptly to all candidates who have completed admissions and deposited original documents in the colleges/institutions, so that they may appear for the repeat 1st counseling without any inconvenience.

नीट यू0पी0 2016 की प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे छात्र, जिन्हे प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हे रिपीट काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु निम्न प्रपत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः-

- नीट यू0पी0 2016 की प्रथम काउंसिलिंग से प्राप्त आवंटन पत्र।
- प्रवेश हेतु जमा किये गये शुल्क रसीद की छायाप्रति।
- कालेजों में मूल अभिलेख जमा किये जाने सम्बन्धी प्राप्ति रसीद।

- पूर्व की भॉति कम्बाईण्ड काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध समस्त निजी एवं राजकीय क्षेत्र के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। निजी क्षेत्र के कालेजों हेतु अनुमन्य शैक्षणिक शुल्क के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से निर्गत किये जा रहें है।
  Admissions to all MBBS/BDS courses in Government and private sector will be done through the combined counseling board as before. Fee fixation orders with respect to private sector MBBS/BDS colleges are being issued separately. Tuition fees applicable in private medical and dental colleges will as per these government orders.
  निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित सब्सिडाईज्ड तथा नॉन सब्सिडाईज्ड सीटों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

- ऐसे अभ्यर्थी जो कि मेरिट लिस्ट में सम्मिलित हैं, परन्तु पूर्व में आयोजित प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किये हों, भी ''रिपीट काउंसिलिंग'' में प्रतिभाग कर सकतें है।
  Candidates who are included in the merit list but who did not register for counseling at respective counseling centres for the previous first round of counseling may also participate in the repeat 1st round counseling.
  जिन छात्रों द्वारा प्रथम काउंसिलिंग हेतु काउंसिलिंग केन्द्र में पंजीकरण/अभिलेखों का सत्यापन कराया जा चुका है, उन्हे पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

  ऐसे छात्र, जो नीट यू0पी0 2016 की मेरिट लिस्ट में सम्मिलित हैं, और प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु काउंसिलिंग केन्द्र में पंजीकरण नहीं करा सके थे, को पंजीकरण फार्म विभागीय वेबसाईट

**www.updgme.in** से डाउनलोड कर उसे पूर्णतया भरते हुये समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित अपने काउंसिलिंग केन्द्र पर निर्धारित तिथि को जमा करना होगा, जिससे उनका काउंसिलिंग केन्द्र में काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण सम्भव हो सकेगा।

- काउंसिलिंग हेतु आवश्यक उपस्थिति-पंजीकरण प्रपत्र अब महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की वेबसाईट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि काउंसिलिंग केन्द्रों पर उपस्थित होने के पूर्व उक्त प्रपत्र को डाउनलोड करते हुए वॉछित सूचनाऍ भर लें, जिससे कि काउंसिलिंग के समय विलम्ब न हो।

  Registration-cum-attendance forms for repeat 1st round/2nd round counseling is now available for download online from the DGME website. Candidates are advised to download and pre-fill the form before they arrive at their respective counseling centres for counseling.

  ऐसे छात्र, जो निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन हेतु इच्छुक हैं, वह निजी क्षेत्र की काउंसिलिंग हेतु काउंसिलिंग केन्द्र में पंजीकरण के लिये (Registration/Self Declaration form) पंजीकरण फार्म विभागीय वेबसाईट **www.updgme.in** से डाउनलोड कर उसे पूर्णतया भरते हुये समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित अपने काउंसिलिंग केन्द्र पर निर्धारित तिथि को जमा करेंगे, जिससे उनका पंजीकरण सम्भव हो सकेगा। निजी क्षेत्र की काउंसिलिंग हेतु फार्म अलग से उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रारूप काउंसिलिंग की समय सारिणी प्रकाशित होने के पश्चात वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

  शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु आवंटन प्रक्रिया में समय की अल्पता तथा अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुये रिपीट काउंसिलिंग निर्धारित तिथियों में प्रत्येक दशा में रात्रि 12:00 बजे समाप्त कर दी जायेगी तथा शेष अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग अगले दिन उसी मेरिट क्रम से प्रारम्भ की जायेगी, जहॉ पूर्व दिवस को रात्रि 12:00 बजे काउंसिलिंग समाप्त होगी। अतः अभ्यर्थी अपनी काउंसिलिंग तिथि से एक दिन का अतिरिक्त समय लेकर ठहरने की व्यवस्था के साथ उपस्थित हों।

  विशेष सूचना -

  निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने दिनांक 20 अगस्त 2016 से 01 सितम्बर 2016 के मध्य के0जी0एम0यू0, लखनऊ की वेबसाईट पर पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा दिनांक 18.9.2016 से 22.9.2016 तक पुनः किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की वेबसाईट **www.kgmu.org** पर उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त पंजीकरण के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की काउंसिलिंग हेतु दिनांक 22 सितम्बर 2016 को एक नई मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी। इस नवीन मेरिट सूची में पूर्व में पंजीकृत छात्रों के साथ-साथ नये पंजीकृत छात्रों को भी सम्मिलित करते हुये नया मेरिट क्रमांक जारी किया जायेगा। यहॉ यह स्पष्ट करना है कि यह नयी मेरिट सूची

मात्र निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन हेतु ही मान्य होगी। दिनांक 02 सितम्बर 2016 को घोषित मेरिट सूची यथावत रहेगी तथा प्रथम मेरिट सूची के आधार पर ही राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार पंजीकृत छात्रों की 02 मेरिट सूची उपलब्ध रहेंगी, प्रथम मेरिट सूची, जो दिनांक 02 सितम्बर 2016 को जारी की गई थी, के द्वारा मात्र राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन किया जायेगा तथा दिनांक 22 सितम्बर 2016 को जारी होने वाली द्वितीय मेरिट सूची के द्वारा मात्र निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन किया जायेगा।

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।